प्रार्थीगण	विप्रार्थीगण
...राम पुत्र मेहाराम भगाराम पुत्र मेहाराम 3. मुलाराम पुत्र मेहाराम 4. हनुमानराम पुत्र मेहाराम 5. जुगताराम पुत्र मेहाराम जाति जाट, निवासी मुलानी, हाल निवास अरटा, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर।	1. जेठाराम पुत्र चौलाराम 2. अमीयोदेवी पत्नी चौलाराम, जाति जाट, निवासी अरटा, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर। 3. राज्य सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार सेड़वा

किस्म मुकदमा राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 81 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 मु.न 332/2025

27/10/25 प्रार्थीगण धर्माराम पुत्र मेहाराम वगैरा **जाति** जाट **निवासी** मुलानी **तहसील** सेड़वा, **जिला** बाड़मेर की ओर से अधिवक्ता श्री करनाराम कड़वासरा वादपत्र अन्तर्गत धारा **131, 136** आर.एल.आर.एक्ट अधिनियम के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा **81** राजस्थान भू राजस्व अधिनियम प्रस्तुत किया है, जो दर्ज किया जाकर दर्ज रजिस्टर हो। स्थगन प्रार्थना पत्र के साथ **तहसील** सेड़वा **के मौजा अरटा पटवार क्षेत्र अरटी भू.अ.नि. अरटी के खाता संख्या 100 के खसरा संख्या 321/498 रकबा 5–6656 हैक्टेयर किस्म बा.दो. व खाता संख्या नया 147 के खसरा संख्या 637/632 रकबा 2–7519 हैक्टेयर, किस्म बा.दो. खाता संख्या 46 के खसरा संख्या 638/632 रकबा 12–1082 हैक्टेयर किस्म बा.दो भूमि की जमाबंदी प्रस्तुत की है।** अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु निवेदन किया है।

स्थगन प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थीगण की एक पक्षीय बहस विस्तार पूर्वक सुनी गई, पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा हाजा न्यायालय में विवादित आराजी के राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम एक्ट का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। इस स्थिति में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणिय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होते है। **अतः इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की जाती है कि विप्रार्थीगण को आगामी तारीख पेशी तहसील सेड़वा के मौजा अरटा पटवार क्षेत्र अरटी भू.अ.नि. अरटी के खाता संख्या 100 के खसरा संख्या 321/498 रकबा 5–6656 हैक्टेयर किस्म बा.दो. व खाता संख्या नया 147 के खसरा संख्या 637/632 रकबा 2–7519 हैक्टेयर, किस्म बा.दो. खाता संख्या 46 के खसरा संख्या 638/632 रकबा 12–1082 हैक्टेयर किस्म बा.दो भूमि में विप्रार्थीगण किसी प्रकार की कोई दखलन्दाजी नहीं करे एवं न ही किसी अन्य से करावें तथा न ही किसी प्रकार का कच्चा–पक्का निर्माण करें। मौके एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखे।**

इस आशय का स्थगन आदेश जारी किया जाता है। स्थगन अहकॉम तहसीलदार सेड़वा को जारी हो। वकील प्रार्थीगण इस आशय के नोटिस विप्रार्थीगण की तलबी हेतु 7 दिवस में रजि.एडी सहित न्यायालय हाजा में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें। प्रार्थीगण वकील आदेश 39 नियम 03 सीपीसी की पालना करे। विप्रार्थीगण को स्थगन के नोटिस जारी होकर पत्रावली वास्ते जबाव आगामी पेशी तारीख 24/12/2025 को पेश हो।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सेड़वा

10/11/25 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी स्वयं उपस्थित। प्रार्थी वकील के निवेदन पर पत्रावली पेशी पर ली गई। चूंकि मूल आवेदन को जरिए राजीनामा विड्रो किया जा चुका है, [illegible] चलाने का कोई औचित्य नहीं है [illegible] आवेदन की कार्यवाही इसी [illegible] जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

धर्माराम

प्रार्थी वकील

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.12.02 15:06:52 IST
Reason: SelfAttested